

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)



निगरानी 1416-II-15

श्रीमती कमलेश केशरवानी पत्नी श्री टी०एन० केशरवानी निवासी
सतना तह० रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....आवेदिका/निग०

बनाम

- 1- संजय कुमार जैन पिता श्री प्रकाशचन्द्र जैन
 - 2- निशा जैन पुत्री हुकुमचन्द्र जैन
- दोनो निवासी सतना तह० रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०
- 3- म०प्र० शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक सज्जनपुर तहसील
रामपुरबाघेलान जिला सतना म०प्र०.....गैरनिगराकारण/अना०

निगरानी अंतर्गत धारा 50 कानून माल
विरुद्ध आदेश दिनांक 05-03-2014
श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त
सज्जनपुर तह० रामपुर बाघेलान जिला
सतनाके प्रकरण क्र०-7अ12/2013-14से
व्यथित होकर।

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित तथ्यो एवं कानूनी बिन्दुओ
के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनय है-

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य यह है कि गैरनिगराकार द्वारा अपने
भूस्वामित्व की आराजी नं० 28/2क/1क/1क रकवा 0.388 हे०
मौजा सज्जनपुर तह० रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र०
स्थित आराजी का सीमांकन किये जाने का आवेदन विचारण

कमशः.....2

कमलेश केशरवानी

कमलेश केशरवानी कमशः

R - 1410-115 उमरिया

23.10.17

आवेदक अति ही जी-पी
की वजह से दिनांक 2.11.15 से उपस्थित
नहीं हो रहे हैं। सूचना भी भेजी गई
परन्तु कोई उत्तर नहीं। आज भी कोई भी
तीन-तीन का आवास लगवामी में पाए
कोई उत्तर नहीं हो रहा है। वन: उप
प्रकरण अनुपस्थिति की स्थिति में उप
पैरवी में स्थापित किया जाता है। प्रकरण
विकसित हो

[क. प. उ.]